



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-28.10.2024

विषय:- दुष्कर्म के मुकदमे मे वांछित अभियुक्त अनिल सोनकर को थाना चौबेपुर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया ।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन मे, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के नेतृत्व मे थाना चौबेपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-706/2024 धारा 64(1),123,127(2),351(2) बी0एन0एस0 थाना चौबेपुर कमि0 वाराणसी से संबंधित नामजद वांछित अभियुक्त अनिल सोनकर पुत्र होरी लाल निवासी ग्राम चन्द्रावती थाना चौबेपुर जनपद कमिश्नरेट वाराणसी को दिनांक-28.10.2024 को समय करीब 11.00 बजे ग्राम चन्द्रावती थाना चौबेपुर से गिरफ्तार किया गया । उक्त सम्बन्ध में थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

घटना का विवरण- दिनांक-27.10.2024 को वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक-25.10.2024 को जब वादिनी/पीड़िता स्कूल (कोचिंग) से घर वापस आ रही थी तब रास्ते में एक स्कूल के पास पहले से मौजूद प्रतिवादी अनिल सोनकर ने वादिनी/पीड़िता को जबरदस्ती पकड़ लिया तथा छेड़छाड़ करने लगा तथा वादिनी/पीड़िता को कोई नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर दिया, उसके बाद कही ले जाकर बन्द करके रखा था । दूसरे दिन जब वादिनी/पीड़िता को होश आया तो उसने किसी दूसरी जगह उसे छोड़ दिया था । तब वादिनी/पीड़िता ने किसी दूसरे व्यक्ति के मोबाइल से फोन से घर वालों को सूचना दी । उपरोक्त प्रतिवादी अनिल सोनकर ने वादिनी/पीड़िता के साथ गलत काम किया है तथा वादिनी/पीड़िता को धमकी भी दिया कि अगर घर वालों को बताई तो तुम्हारे भाई तथा घर वालों को मार देंगे, जिसके आधार पर थाना चौबेपुर में मु0अ0सं0-706/2024 धारा 64/123/127(2)/351(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना प्र0नि0 जगदीश कुशवाहा द्वारा संपादित की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अनिल सोनकर पुत्र होरी लाल निवासी ग्राम चन्द्रावती थाना चौबेपुर जनपद कमिश्नरेट वाराणसी, उम्र 24 वर्ष ।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय- ग्राम चन्द्रावती थाना चौबेपुर से, दिनांक-28.10.2024 को समय करीब 11.00 बजे ।

आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 706/2024 धारा 64(1),123,127(2),351(2) बी0एन0एस0 थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्र0नि0 जगदीश कुशवाहा थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।
2. का0 शशि कुमार सरोज थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।



सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी ।